

उ.प्र. पं. दीन दयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा ।

1857 / सैंतीस-2-2003-2(39) / 2002 दि 028.05.03 एवं सं0-1858 / सैंतीस-2-2003-2(39) / 2002 दि 028.05.03 व संख्या 1302 / सैंतीस-2-2013-3(2/12 दिनांक 21.04.2014 तथा सं0-638 / 37-3-2019-5(08) / 2018 दिनांक 26.07.2019 एवं विश्वविद्यालय के परिनियमावली के अध्याय x तथा परिनियम सं0-7(2) के अधीन पारिवारिक पेन्शन के लिए नामांकन हेतु।

मैं एतद् द्वारा व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नीचे अंकित क्रम में मेरे निधन होने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली परिवार पेन्शन को प्राप्त करने के लिए नामांकित करता / करती हूँ।

क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	जन्मतिथि	कर्मचारी से सम्बन्ध	पता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

इसके पूर्व मेरे द्वारा दिनांक ..... को किये गये नामांकन को इस नामांकन के माध्यम से अतिक्रमण निरस्त करता / करती हूँ।

प्रति हस्ताक्षरित

कार्यालयाध्यक्ष का नाम तथा पदनाम  
दिनांक.....

हस्ताक्षरित कर्मचारी .....  
कर्मचारी का पूरा नाम.....  
पदनाम.....  
दिनांक.....

परिवार में केवल पत्नी/पति, पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियों सम्मिलित हैं।

- नोट-(1) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक तथा जीविकोपार्जन की तिथि जो भी पहले हो तक।  
 (2) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि या मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।  
 (3) यदि परिवार में कोई ऐसी सन्तान है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या शरीर से विकलांग है तो उल्लेख कर दिया जाय।

\*नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के निम्नलिखित दस्तावेजों में जो उपलब्ध हो संलग्न करे।

आधार कार्ड/ड्राईविंग लाइसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड।